संख्या-11/2017-726/58-2017-100(1)/2016

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग

लखनऊ:दिनांक: 18 अप्रैल 2017

विषय :- आलू उत्पादन करने वाले किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु गठित समिति की रिपोर्ट पर कार्यवाही के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य है। देश में कुल उत्पादन का लगभग 29 से 35 प्रतिशत आलू उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। वर्ष 2016-17 में जनपदीय उद्यान अधिकारियों से प्राप्त प्राथमिक सूचना के अनुसार 6.14 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल में आलू आच्छादन के सापेक्ष लगभग 155 से 160 लाख मिट्रिक टन आलू उत्पादन का अनुमान है। विगत वर्षों में आलू के क्षेत्रफल तथा उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्वि हुई है। प्रदेश में कृषकों की आर्थिक उन्नति में नकदी फसल के रूप में आलू का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश के कुल उत्पादन में से 75 लाख मिट्रिक टन खाने के उपयोग में 07 लाख मिट्रिक टन प्रसंस्कृत उत्पाद के रूप में 20 लाख मिट्रिक टन बीज के रूप में तथा शेष आलू सरप्लस के रूप में प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों की मंडियों में विक्रय एवं नेपाल व अन्य देशों में निर्यात होता है।

2- प्रदेश में उत्पादित आलू के भण्डारण हेतु 1708 निजी/सहकारी शीतगृह संचालित हैं जिनकी भण्डारण क्षमता 130.26 लाख मिट्रिक टन है,जो अनुमानित उत्पादन का लगभग 81 प्रतिशत है। वर्ष 2017 में आलू भण्डारण की दिनांक 31 मार्च 2017 तक जनपदीय उद्यान अधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार कुल 96.49 लाख मिट्रिक टन (भण्डारण क्षमता का 74 प्रतिशत) आलू का भण्डारण किया जा चुका है।

3- विगत 10 वर्षों का आलू आच्छादन उत्पादन उत्पादकता शीतगृहों की संख्या भण्डारण क्षमता एवं भण्डारित मात्रा का विवरण निम्नवत है :-

क्षेत्रफल: लाख हैक्टेयर
उत्पादन: लाख मिट्रिक टन

क्र0 सं0	वर्ष	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	कार्यरत शीतगृह की सं0	भण्डारण क्षमता	भण्डारित मात्रा
1	2006-07	4.78	105.37	22.04	1248	86.83	64.05
2	2007-08	5.18	115.13	22.22	1324	95.51	80.93
3	2008-09	5.17	106.35	20.57	1374	98.76	66.37
4	2009-10	5.41	134.47	24.85	1447	106.51	89.95
5	2010-11	5.57	135.76	24.39	1496	109.51	100.42
6	2011-12	5.58	123.16	22.08	1522	111.30	81.46
7	2012-13	5.48	133.36	24.35	1555	113.78	83.05
8	2013-14	5.70	120.60	21.17	1607	119.49	76.79
9	2014-15	5.76	129.86	22.56	1620	121.24	109.29
10	2015-16	6.13	141.13	23.02	1649	124.94	113.73
11	2016-17	6.14 प्रारम्भिक	155.00 अनुमानित	25.24 अनुमानित	1708	130.26	96.49 (मार्च 2017 तक)

http://shasanadesh.up.nic.in

4- आलू पर बाजार हस्तक्षेप योजना :

इस परिप्रेक्ष्य में बाजार हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत प्रदेश में रू0 487 प्रति कुन्तल की दर से किसानों का 01 लाख मिट्रिक टन आलू क्रय करने के लिए उ0प्र0शासन की ओर से भारत सरकार को प्रस्तुत प्रस्ताव पर दिनांक 07 अप्रैल 2017 स्वीकृति प्राप्त हुई। प्रदेश सरकार की ओर से शासनादेश सं0-679/58-2017-100(1)/2016, दिनांक 08 अप्रैल 2017 द्वारा प्रदेश की क्रय एजेन्सियों-यू0पी0 एग्रो पी0सी0एफ0, हॉफेड तथा उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 से किसानों का आलू क्रय करने का निर्णय लिया गया है। किसानों से आलू क्रय करने में यदि नामित संस्थाओं को किसी प्रकार की हानि होती है तो उसे भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में वहन किया जायेगा जिसमें अनुमन्य ओवरहेड चार्जेज भी सम्मिलित है किन्तु हानि क्रय लागत के 25 प्रतिशत की सीमा तक ही अनुमन्य होगी।

5- प्रदेश के विभिन्न मण्डियों के बाजार भाव :

कृषि विपणन और कृषि विदेश व्यापार निदेशालय उ0प्र0 से प्राप्त 19 प्रमुख मण्डियों में दिनांक 10 अप्रैल 2017 को बाजार की थोक दरें रू0 290 से 690 प्रति कुन्तल के मध्य हैं। सबसे कम रू0 290 जनपद फर्रूखाबाद तथा सबसे अधिक रू0 680 जनपद लखनऊ का रहा है।

उ0प्र0 के 19 प्रमुख मण्डियों के औसत थोक बाजार भाव का विशलेषण करने पर यह देखा गया कि जनपद आगरा, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, इलाहाबाद, कानपुर, फर्रूखाबाद, मेरठ, सहारनपुर में दिनांक 03 अप्रैल 2017 को आलू का थोक बाजार भाव रू0 400 प्रति कुन्तल या इससे कम था जबकि गोण्डा, फैजाबाद, गोरखपुर, झांसी, मिर्जापुर एवं वाराणसी में रू0 500 या इससे अधिक था। इस प्रकार यदि प्रदेश के कम बाजार भाव वाली मण्डियों से अधिक बाजार भाव वाली मण्डियों को आलू का परिवहन करके विपणन की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय तो प्रदेश के उत्पादकों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाना तथा उपभोक्ताओं को भी सस्ती दर पर खाद्य आलू उपलब्ध कराना सुलभ हो सकेगा।

6- समिति द्वारा आलू के बाजार भाव को नियन्त्रित करने के संबंध में संस्तुतियां :

प्रदेश की विभिन्न मण्डियों में आलू की दरें रू0 290 से 680 प्रति कुन्तल का संज्ञान लेते हुए अधिक दरों वाले जनपदों लखनऊ, गोण्डा, फैजाबाद, गोरखपुर, झांसी, मिर्जापुर एवं वाराणसी में आलू की कम दरों वाले जनपद-आगरा, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, इलाहाबाद, कानपुर, फर्रूखाबाद, मेरठ एवं सहारनपुर से संबंधित जिलाधिकारी/जिला उद्यान अधिकारी के स्तर से समन्वय कर आलू की आवक बढ़ायी जाय। संबंधित अधिकारी प्रतिदिन समाचार पत्रों में प्रदेश के सभी प्रमुख मण्डियों की थोक/फुटकर दरों को प्रकाशित करायें तथा इस बात के लिए प्रेरित किया जाय कि कम बाजार भाव वाली मण्डियों से आलू क्रय करके अधिक बाजार भाव वाली मण्डियों में आलू की आमद बढ़े।

7- इन प्रदेशों में उत्तर प्रदेश के आलू की आवक को बढ़ाने के लिए निम्नांकित कार्य किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

(1) माननीय मंत्री जी, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर पर उक्त राज्यों के माननीय कृषि मंत्रीगणों एवं सचिवों की बैठक तत्काल कराकर उन राज्यों की विपणन संस्थाओं/मार्केटिंग फेडरेशन द्वारा प्रदेश से आलू क्रय कर विपणन कराने पर कार्यवाही करायी जाय और राज्यों के लक्ष्य निर्धारित किये जाय।

(2) उत्तर प्रदेश के प्रमुख आलू विक्रेताओं बड़े आलू उत्पादकों/उत्पादक समूहों एवं प्राथमिक औद्यानिक विपणन समितियों के द्वारा अधिक बाजार भाव प्रदेशों में उत्तर प्रदेश के आलू का विपणन कराया जाय। मण्डी एवं हॉफेड के द्वारा समन्वय कर इसमें सहयोग प्रदान किया जाय।

(3) भारत सरकार के द्वारा कृषि जीन्स के अखिल भारतीय विपणन ई-नैम (ई-नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट) में आलू की फसल को महत्व देते हुए अखिल भारतीय स्तर पर विपणन की व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने हेतु अनुरोध किया जाय।

8- क्रय एजेंसियों को उत्तर प्रदेश राज्य मण्डी परिषद से ब्याज मुक्त ऋण अल्प अवधि के लिए उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। जिसके लिए मा0 मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है। शेष बिन्दुओं पर निर्णय लेने हेतु उद्यान विभाग को अधिकृत किया गया है।

अतः कृपया उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुधीर गर्ग)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-11/2017-726(1)/58-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन ।

(2) निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन ।

(3) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन ।

(4) प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0शासन।

(5) प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन।

(6) प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।

(7) समस्त संबंधित मण्डलायुक्तों को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश की एक प्रति अपने अधीनस्थों को अपने स्तर से प्रेषित करते हुए इस योजना का प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुश्रवण भी कराने का कष्ट करें।

(8) समस्त संबंधित जिलाधिकारी, उ0प्र0।

(9) प्रबन्ध निदेशक, प्रादेशिक को-आपरेटिव फेडरेशन (PCF) लखनऊ।

(10) प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 एग्रो, लखनऊ।

(11) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य औद्यानिक सहकारी विपणन संघ (हाफेड) , लखनऊ।

(12) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0, बालाकदर रोड़, लखनऊ।

(13) आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारी समितियों उ0प्र0 लखनऊ।

(14) समस्त संबंधित मण्डलीय उप निदेशक उद्यान/संबंधित जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक राजकीय उद्यान/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस योजना के क्रियान्वयन में क्रय एजेन्सियों को पूर्ण सहयोग करेंगे आवश्यकतानुसार अच्छी ख्याति के निजी शीतगृहों में क्रय किये गये आलू को भण्डारित कराने में सहयोग करेंगे तथा योजना की दैनिक प्रगति से निदेशालय/शासन को अवगत करायेंगे।

(15) निदेशक, मण्डी परिषद, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त योजना में यथोचित सहयोग हेतु अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/मण्डी सचिवों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

(16) निदेशक, (एम0पी0एस0) कृषि सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग (सहकारिता अनुभाग) कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके पत्र सं0 एल-15016/17/2017-एम0पी0एस0 दिनांक 07.04.2017 के संदर्भ में।

(17) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in